सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी–देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्रा0पत्र सं0 04/2025 धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम
राजस्थान सरकार जरिये श्री प्रहलाद रजक, प्रवर्तन निरीक्षक लवाण जिला दौसा

..प्रार्थी

बनाम

श्री शम्भूदयाल सैनी पुत्र मूलचन्द सैनी निवासी ग्राम पंचायत बडागांव तहसील लवाण जिला दौसा

..अप्रार्थी

उपस्थितः 1. श्रीमती सूरज बाई मीना, प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय पैरोकार सरकार
2. अप्रार्थी शंभूदयाल सैनी स्वयं।

जब्तशुदा 12 घरेलू एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डरों मय एल.पी.जी. 156.2 किलोग्राम आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात कर निस्तारण करने बाबत।

निर्णय

दिनांकः 30.5.2025

1. सक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 इस प्रकार है कि प्रर्वतन निरीक्षक लवाण के द्वारा दिनांक 21.02.2025 को मय प्रवर्तन दस्ते के द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान श्री शंभूदयाल सैनी द्वारा घरेलू एल0पी0जी0 गैस के दुरूपयोग करने पर मौके पर पाये गये कुल 12 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 156.2 किलोग्राम एल0पी0जी0 को जब्त सरकार कर राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की तलबी की गई। जिला रसद अधिकारी दौसा का मूल अभिलेख प्राप्त किया गया।
3. विभागीय पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र 6 ए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि खाद्य विभाग के पत्र दिनांक 10.9.2024, 19.9.2024, 7.10.2024 द्वारा दिनांक 17.9.2024 से दिनांक 27.9.2024 तक की निरन्तरता में संपूर्ण जिले में घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डरों के दुरूपयोग/अवैध गैस रिफलिंग विशेष अभियान के तहत गठित जांच दल द्वारा दिनांक 21.2.2025 ग्राम पंचायत बडागांव तहसील लवाण जिला दौसा में अवैध भंडारण की सूचना हेतु निरीक्षण किया गया। प्रवर्तन स्टाफ के द्वारा जांच करने पर पाया कि ग्राम पंचायत बडागांव तहसील लवाण के शंभूदयाल सैनी पुत्र मूलचन्द सैनी की जनरल स्टोर की जांच करने पर घरेलू सिलेण्डरों का अवैध भंडारण एवं कालाबाजारी करना पाया गया। वक्त निरीक्षण शंभूदयाल सैनी पुत्र मूलचन्द सैनी जनरल स्टोर का मालिक होना बताया गया। मौके पर गवाहों के समक्ष जांच करने पर 12 सिलेण्डर घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये। शंभूदयाल सैनी पुत्र मूलचन्द सैनी द्वारा 12 घरेलू गैस सिलेण्डरों के संबंध में मांगने पर कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये। इस प्रकार शंभूदयाल सैनी पुत्र मूलचन्द सैनी घरेलू एल0पी0जी0 गैस का उपयोग, अवैध भंडारण एवं कालाबाजारी में लिया जाना प्रथम दृष्ट्या पाया गया। मौके पर सैनी इण्डेन ग्रामीण वितरक गैस ऐजेन्सी लवाण के ऑपरेटर श्री अशोक कुमार सैनी पुत्र श्री गोवर्धन सैनी ग्राम पंचायत लवाण को बुलाकर हैंगिग मशीन से तोलने की कार्यवाही की गई। मौके पर प्राप्त सिलेण्डरों व अन्य जब्त सामग्री का विवरण निम्नानुसार हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:42:25 IST
Reason: SelfAttested

क्रसं	सिलेण्डर श्रेणी	नाम गैस कंपनी	सिलिण्डर नम्बर	भरे हुए सिलेण्डर का वजन (किलोग्राम)	खाली सिलेण्डर का वजन (किलोग्राम)	शुद्ध गैस का वजन (किलोग्राम)
1	घरेलू	बीपीसीएल	29616 एस	[illegible].9	15.7	14.2
2	घरेलू	बीपीसीएल	002100 जे	29.8	15.6	14.2
3	घरेलू	बीपीसीएल	388988 सी	29.7	15.6	14.2

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4	घरेलू	बीपीसीएल	245509 एस	30.4	16.2	14.2
5	घरेलू	एचपीसीएल	921557	29.9	15.7	14.2
6	घरेलू	बीपीसीएल	474744	29.7	15.5	14.2
7	घरेलू	बीपीसीएल	097661	29.8	15.6	14.2
8	घरेलू	बीपीसीएल	041768 एस	29.9	15.7	14.2
9	घरेलू	बीपीसीएल	941686	29.9	15.7	14.2
10	घरेलू	बीपीसीएल	038540 जे	29.9	15.7	14.2
11	घरेलू	आईओसीएल	140479	29.8	15.6	14.2
12	घरेलू	आईओसीएल	771122	15.7	15.7	0

इस प्रकार मौके पर पाये गये उक्त 12 घरेलू सिलेण्डरों एवं उनमें भंडारित 156.2 किलोग्राम एल.पी.जी. गैस, को जब्त कर कब्जे राज लिया गया। उक्त जब्त गैस सिलेण्डरों मय एल.पी.जी.व अन्य सामग्री को सुरक्षा की दृष्टि से सैनी इण्डेन ग्रामीण वितरक गैस ऐजेन्सी लवाण के ऑपरेटर श्री अशोक कुमार सैनी पुत्र श्री गोवर्धन सैनी ग्राम पंचायत लवाण को सुपुर्दगी में दिये गये। इस प्रकार जनरल स्टोर के मालिक शंभूदयाल सैनी पुत्र मूलचन्द सैनी द्वारा उक्तानुसार द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण) आदेश 2000 के उपबंधों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अतः जब्तशुदा 12 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय एलपीजी 156.2 किलोग्राम तथा अन्य जब्त सामग्री को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात कर निस्तारण करने के आदेश प्रदान करावें।

4. दौराने बहस अप्रार्थी ने कथन किया कि अप्रार्थी की बडागांव मुख्य बाजार में किराने की दुकान है। गांव की ढाणियों के लोग गैस सिलेण्डर खत्म होने पर गैस की गाडी का समय निर्धारित नहीं होने व गाडी भी दो से तीन दिन में आती थी जिससे गांव ढाणियों के लोगों ने अप्रार्थी की दुकान पर गैस सिलजेण्डर की गाडी के लिए खाली सिलेण्डर अप्रार्थी की दुकान पर रख देते है, जब गाडी आती थी तो अप्रार्थी भरे गैस सिलेण्डर लेकर दुकान के सामने रख देता था। शाम को जिनके सिलेण्डर होते थे, वो ले जाते थे। दिनांक 21.2.2025 को जिला रसद अधिकारी महोदय दौसा मार्ग से निकल रहे थे, उसी दौरान गांव के लोगों के 11 भरे हुए सिलेण्डर दुकान के बाहर रखे हुए थे और एक खाली गैस सिलेण्डर की टंकी थी। जिला रसद अधिकारी महोदय दौसा ने उन सभी सिलेण्डरों को जब्त कर अपने साथ ले गये। अतः उक्त सभी जब्त 12 सिलेण्डरों को अप्रार्थी को लौटाने की कृपा

5. हमने विभागीय पैरोकार सरकार एवं अप्रार्थी के कथनों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डरों के दुरूपयोग/अवैध गैस रिफलिंग विशेष अभियान के तहत गठित जांच दल द्वारा दिनांक 21.2.2025 को ग्राम पंचायत बडागांव तहसील लवाण के शंभूदयाल सैनी पुत्र मूलचन्द सैनी की जनरल स्टोर की जांच करने पर घरेलू सिलेण्डरों का अवैध भंडारण एवं कालाबाजारी करना पाया गया। वक्त निरीक्षण में श्री शंभूदयाल सैनी पुत्र मूलचन्द सैनी ने स्वयं को जनरल स्टोर का मालिक होना बताया। मौके पर गवाहों के समक्ष जांच करने पर 12 सिलेण्डर घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये। शंभूदयाल सैनी पुत्र मूलचन्द सैनी द्वारा 12 घरेलू गैस सिलेण्डरों के संबंध में मांगने पर कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये। इस प्रकार शंभूदयाल सैनी पुत्र मूलचन्द सैनी द्वारा घरेलू एल0पी0जी0 गैस का उपयोग, अवैध भंडारण एवं कालाबाजारी में लिया जाना सिद्ध होना पाया जाता है। इस प्रकार श्री शंभूदयाल सैनी पुत्र मूलचन्द सैनी द्वारा एल0पी0जी0 आदेश 2000 के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है। अप्रार्थी श्री [illegible] शर्मा ने मौके पर कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। हाल ही में भा[illegible] दुखद घटना भी हुई है। इस प्रकार का उक्त कृत्य **L.P.G. (Regulation of supply and distribution) order**ए 2000 के खंड 3, 4, 5, 6, 7 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:42:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

के तहत दण्डनीय अपराध है। हम प्रार्थना पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाने योग्य समझते है।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त वर्णित जब्त शुदा 12 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय एलपीजी 156.2 किलोग्राम मय सिलेण्डर गैस भट्टी को राजसात **(Confiscate)** किया जाता है। जिला रसद अधिकारी दौसा को निर्णय की प्रति प्रेषित कर निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि जब्त माल का नियमानुसार निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 30 मई, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:42:25 IST
Reason: SelfAttested